भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3348
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेरठ में पेयजल आपूर्ति और जल निकासी की समस्या

3348. श्री अरुण गोविलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ में बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण पेयजल आपूर्ति और जल निकासी से संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसके कारण नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का मेरठ के लिए नई जल आपूर्ति योजना शुरू करने अथवा गंगा जल परियोजना का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का मेरठ में जल निकासी प्रणाली के आधुनिकीकरण और मल-निकास प्रणाली में सुधार के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है, जल का प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करने और राष्ट्रीय मिशनों अर्थात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) नवीकरण और शहरी परिवर्तन (अमृत) के लिए अटल मिशन को लागू कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय शहरों सहित 485 शहरों) और देश भर के कस्बों में शुरू किया गया था।

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शुभारंभ किया गया था।

स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक ढांचे के भीतर परियोजनाओं का डिजाइन, अनुमोदन, प्राथमिकता तथा कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन (जेएम) के तहत, जल आपूर्ति योजनाओं को 30 साल की अनुमानित जनसंख्या के साथ नियोजित किया गया है। इस भावी योजना का उद्देश्य जल प्रणालियों और बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला मेरठ के सभी गांवों को जल जीवन मिशन के तहत शामिल किया गया है।

अमृत के तहत, मेरठ शहर में 257.32 करोड़ रुपये की लागत वाली 18 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 255.42 करोड़ रुपये के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन परियोजनाओं में 3 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 4 सीवरेज / सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 11 हरित क्षेत्र और उद्यान परियोजनाएं शामिल हैं। 31,479 नल जल कनेक्शन और 63,052 सीवर कनेक्शन (एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए घरों सहित) अमृत और समन्वय के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, अब तक, मेरठ शहर में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 2 जल आपूर्ति परियोजनाएं, एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और 4 जल निकाय नवीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में 1.55 लाख नए/सर्विस नल कनेक्शन शामिल हैं।

****